**राजस्थान सरकार**
**नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक प.19(11)नविवि/रेरा/2024 जयपुर, दिनांकः

**—: परिपत्र :—**

रियल एस्टेट(विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 लागू होने के पश्चात् प्रत्येक प्रमोटर को उसकी पंजीकरण योग्य रियल एस्टेट परियोजना को रेरा प्राधिकरण में पंजियन कराना कानूनन अनिवार्य है। कोई प्रमोटर, जिनमें स्थानीय निकाय भी शामिल है, रेरा ऑथरेटी में परियोजना के पंजीकरण के बिना उस परियोजना के प्लाट/फ्लैट/आवास का विक्रय नहीं कर सकता है, ना ही विक्रय के लिये कोई विज्ञापन दे सकता है।

उपरोक्त प्रावधानों के क्रम में यह भी कानूनन अनिवार्य हो जाता है कि बिना रेरा प्राधिकरण में परियोजना के रजिस्ट्रेशन के स्थानीय निकायों द्वारा परियोजना का कोई पट्टा विलेख जारी नहीं किया जावें। इस संबंध में रेरा ऑथरेटी के द्वारा भी अपने आदेश दिनांक 14.3.2023 द्वारा निर्देश जारी किये गये है।

रेरा अधिनियम 2016 के प्रावधानों एवं रेरा ऑथरेटी के पत्र दिनांक 14.3.2023 की निरन्तरता में यह निर्देशित किया जाता है कि कोई स्थानीय निकाय/विकास प्राधिकरण रेरा अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण योग्य परियाजनाओं के रेरा ऑथरेटी में पंजीकरण के उपरांत ही उस परियोजना से संबंधित कोई भी पट्टा विलेख जारी करेगें, ताकि अधिनियम के प्रावधानों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करते हुये आमजन एवं हितधारियों के अधिकार/हितों की रक्षा की जा सके।

**(वैभव गालरिया)**
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
2. आयुक्त, स्थानीय निकाय विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त आदेश की अनुपालना सभी नगर निगम/नगरपालिका/नगर परिषद में पालना करने की व्यवस्था करावे।
3. आयुक्त (समस्त) विकास प्राधिकरण।
4. सचिव(समस्त) नगर विकास न्यास।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली

प्रमुख शासन सचिव

Signature valid
Digitally signed by Vaibhav Galriya
Designation: Principal Secretary To Government
Date: 2024.12.30 14:10:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 12704136